

• abb

11.12.18

11.12.18

अभियुक्तगण क्रमः ① सुखसे पातवान
② नीमू कुमारी एवं ③ राकेश कुमाट की
बोट से दूतक शक्ति पत्र के साथ आत्मसमर्पण
सह जमानत आवेदन दाखिल की गयी,
मिली फॉलो A.P.O को दी गयी। आवेदन
पंचायत भिजा गया। बाद फुलाट पर आगे-
अभियुक्तगण उपस्थित हुये। अभियुक्तों के
न्यायिक बगिछा में भिजा भाग है।
जमानत के बिन्दु पर उम्मीद
पक्षों को खुला। निम्न अविवरता का
कथन है कि अभियुक्तगण बिल्कुल
विदोष हैं, उसने कोई अपराध नहीं किया
गया है। यह कि छिपी करीब न्यायालय
में जमानत आवेदन दाखिल नहीं भिजा
गया है। यह कि धारा 309 भादविक
की धोखा सभी धारण जमानतीय हैं
एवं अभियुक्तों के विरुद्ध कोई आपराधिक
इतिहास नहीं है

contd.